



क्र. सं.

दिनांक आज्ञा  
या कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

में से वादी की भूमि में प्रतिवादी की  
भूमि निम्नलिखित है तो उसे वादी छोड़ेंगे  
एवं प्रतिवादी की भूमि में वादी की भूमि  
निम्नलिखित है तो उसे प्रतिवादी छोड़ेंगे।  
तथा जब तक उक्त भूमि का सीमांकन  
नहीं हो जाता है तब तक उक्त पक्षों में  
की पचासविसी कलापरखते के लिए  
पाबन्ध रहेंगे एवं सीमांकन होने के  
पश्चात वादी एवं प्रतिवादी गण अपनी  
अपनी सीमा में पाबन्ध रहेंगे। उक्तानुसार  
वादी की भूमि तदनुसार कस्बी के  
तहसील जाती हो। डिप्टी पंचों जाती हो। डिप्टी  
व डिप्टी की पालना हेतु सिद्ध जावे। पत्रावली  
फैसल थुमार होकर कंड तदनुसार 11/11/11  
दफ्तार हो।

आज दिनांक 1.12.21 को यह  
निर्णय प्रशासन जंक्टो के सेज उल्लिखित  
केम्प इन्फार्मपुरा वल्लेनियार में माजमें  
आम में सुनाया गया।

  
सहायक कमिश्नर बस्ती जिला बन्सुर

डिवाणी मुकदमा इन्दादाई

(ओ. 20 रूल्स व 7 जाबदा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर, मुकाम बरसी, जिला जयपुर बड़जलारा  
पीठारीन अधिकारी- शिवचरण शर्मा आर0ए0एस  
पशासन गावों के संग अभियान 2021

वादी

1. तापण पुत्र भवरेण
  2. ईश्वर पुत्र भवरेण
  3. जगदीश पुत्र भवरेण
- समानत जाति कांटा जांत  
कांठरा नि. राजपुरा उस्ता  
तह. कर्मा जिला जयपुर

प्रतिवादीयक,

1. श्रीमता तापण पुत्र किरदा
2. इंदिरा तापण पुत्र किरदा
3. एलाती भाव पुत्र रामकांत
4. वा प्रदेही पति रामकांत
5. समुद्रि पति
6. मुनील पुत्र कातापत
7. जिरात पुत्र कातापत
8. वसुधा पुत्र कातापत
9. अक्षय पुत्री कातापत
10. शीमा पुत्री कातापत जाति कांटा जांत कांठरा नि. राजपुरा उस्ता तह. कर्मा
11. तह. कर्मा

दावा

अन्तर्घारा घारा 188

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं०

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रुबरु हमार ACM. 1955

प्रतिवादीगण मिनजामिन मुददई रुबरु हमारे मिनजामिन मुददायलर पेश हाकर हुकम दिया जायगा वादी का वाद

श्रीमता विजा भागा वाड उस्त मुमि रा. वं. 124/21/120 निश्चत उस्त राजपुरा उस्ता तह. एला भागपुरा कचेरिया तह. कर्मा जिला जयपुर के लख रस में तहसीलवा कर्मा के अदेशा दिजा जाता है कि उस्त वाड उस्त मुमि का दो मु. अ. नि. ब-चार पश्चिमी की लपुस्त दीस गठित कर निपभानुसार फसलाते की उपस्थिति में शीमा जात करे। शीमा जात के पश्चात उस्त वाड उस्त मुमि में से वादी के मुमि में परिवारी की मुमि निगल्ली है तो उसे वादी छोड़ेगा एवं परिवारी की मुमि में वादी की मुमि निगल्ली है तो उसे परिवारी छोड़ेगा। तथा जब तक उस्त मुमि का शीमा जात नहीं हो जाता है तब तक उस्त पक्ष मोमि की पचा विधाने

निजि मुवाकिल दावत खर्चा इस मुकदमे का नय सूद वगैरह करवाया जायगा

यसूलियाद का अदा करे।

दस्तावेज नं० दूरदर्शन नं० अदालत के आज तारीख

2021 नवंबर मिया नं०

नाहर



परस्तखान

*(Signature)*

सहायक प्रतियर सती जिला जयपुर

श्रीमता विजा भागा	मुमि
श्रीमता इश्वर	मुमि
श्रीमता जगदीश	मुमि
श्रीमता समुद्रि	मुमि
श्रीमता मुनील	मुमि
श्रीमता जिरात	मुमि
श्रीमता वसुधा	मुमि
श्रीमता अक्षय	मुमि
श्रीमता शीमा	मुमि

(शिवचरण शर्मा)

सहायक प्रतियर सती जिला जयपुर

\* वनाभे रातने के लिए पाबंद रहेगे एवं भीमा जात होतेके  
पश्यात वाडी व पक्षि वाडीगण अपतीअपती भीमा के पाबंद  
रहेगे। इन्साबुमार वाषे वाडी हेतु तहसील डाट वामती को  
तहसील जाती हे।

  
सहायक कलेक्टर वस्ती जिला जयपुर